फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

मूलचन्द बनाम ताराचन्द वगै0

GCMS-2025/50

मुकदमा नम्बर :– 21/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	31.01.2025	प्रार्थी की ओर से प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 के तहत पेश हुआ। प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी के वकील ने अपनी अंतरिम बहस प्रार्थना पत्र में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड व दस्तावेजात के अवलोकन से पत्रावली में गुवावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है अतः प्रार्थी की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तलबी आगामी पेशी दिनांक 17.02.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	
	17/2/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से हेमराज चौधरी वकील ने पावर पेश किया। पत्रावली बाद तलबी आगामी दिनांक 28/2/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	
	28/2/25	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से पूरणमल जाट व अप्रार्थी सं. 4 की ओर से महावीर सिंह वकील ने पावर पेश किया। पत्रावली वास्ते जवाब व शेष की तलबी हेतु दिनांक 10/3/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	
	10/3/25	प.कि. उप.। पत्रावली वास्ते जवाब व शेष की तलबी हेतु दिनांक 28/3/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	मूलचन्द
	28/3/25	पत्रावली पेश हुई। मूल वाद फाईल के गुम होने अतः वाद प्रकरण की इसी स्तर विधि से अनुमति दी जाकर नया प्रा.पत्र पेश करने की छूट दी जाती है पत्रावली फैसल। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	

अनुसार रीडर दर्ज नम्बर से कम हो
तथा शामिल दफ्तर हो

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)